कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(संरक्षण –कक्ष)

वन विभाग , सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश , भोपाल

क्रमांक/एफ– 16/10–10/2008/1598 /भोपाल:दिनांक 19/5/08

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

(क्षेत्रीय)

विषय :–बजट आबंटन वर्ष 2008–2009 , अग्नि सुरक्षा ।

——:::——

वर्ष 2008–2009 के लिए संलग्न परिशिष्ट–एक अनुसार बजट आबंटन किया जाता है । अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निम्न निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए ।

1/ फायर वाचर्स के भुगतान हेतु 4 माह के व्यय का आंकलन कर बजट आबंटन किया गया है । 4 माह अवधि में 01 मार्च से 15 जून –2008 तथा 15 फरवरी से 28 फरवरी–2009 को शामिल किया गया है ।

2/ आकस्मिक अग्नि सुरक्षा प्रयोजन के लिए अतिरिक्त राशि पृथक से दी गयी है जिससे अतिरिक्त श्रमिकों को भुगतान किया जा सकता है तथा अग्नि सुरक्षा के लिए अन्य आवश्यक साधन जुटाने पर व्यय किया जा सकता है । यदि इस बजट प्रावधान के अधीन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो किये गये /प्रस्तावित कार्यो का विवरण तथा व्यय/प्रस्तावित राशि का स्पष्ट एवं औचित्य पूर्ण उल्लेख करते हुए प्रस्ताव भेजा जाना चहिए ।

3/ अग्नि रेखा की सफाई एवं संबद्ध कार्यो के लिए बजट आबंटन किया गया है । यह कार्य प्रचलित एवं निर्धारित समयावधि में सम्पादित किया जाना चाहिए । इन कार्यो के लिए इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 3391 दिनांक 18/10/2006 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे ।

4/ अग्नि सुरक्षा कार्यो में बजट उपयोग के लिए श्रमिकों को भुगतान करने में अथवा कोई सामग्री / उपकरण क्रय करने में शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रकिया का पालन किया जाना चाहिए ।

5/ आबंटित बजट के अन्तर्गत ही व्यय सीमित किया जाना चाहिए । अतिरिक्त व्यय उसके लिए बजट आबंटन सुनिश्चित करने के बाद ही किया जाना चाहिए ।

संलग्नः— परिशिष्ट एक

(सतीश त्यागी)
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश—भोपाल

क्रमॉक/एफ—15/10—10/2008 /1599/भोपालःदिनांक 19/5/08

प्रतिलिपि :— समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षैत्रीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश—भोपाल

FOREST DEPARTMENT

Description	Authority competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
2	3	4	5
	Financial Powers in respect of Forest Department		
Sanction advances to contractors and labourers, Village Forest Commitees, Forest Protection Committees and Eco-Development Committees.	1. Conservator of Forests	Up to Rs. 5.00 lakh, or the amount estimated for carrying out works for the period upto three months whichever is less.	
	2. Divisional Forest Officer	Up to Rs. 3.00 lakh or the amount estimated for carrying out works for the period upto three months whichever is less	
Sanction of forest contract to the Forest Labour Co-operative Societies /Village Forest Committees/Forest Protection Committees/Eco-Development Committees.	1. District Planning Commitee.	above Rs. 25.00 lakhs.	
	2. Conservator of Forests	Up to Rs. 25.00 lakhs.	
	3. Divisional Forest Officer	Up to Rs. 15 lakhs.	